

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ-226001

पत्र सं०-485-ज०श० एवं प्र०सु०-०१ / पाकालि / 2008-19ज०श०(०८) / 2004 दिनांक 14 नवम्बर, 2008.

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं० 589-ज०श०(०८) / रविप-९९-९ ज०श० / ९८ दिनांक 11.05.99 द्वारा मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली) के नियत्रणाधीन सृजित "यूनीफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार प्रणाली मण्डल" जिसे कार्यालय ज्ञाप सं०-३०- ज०श०(०८) / पाकालि / ०४-९-ज०श० / ९८ दिनांक ०९.०१.२००४ द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की पन्द्रहवीं बैठक के बिन्दु पन्द्रह (१३) / ०८ द्वारा प्राप्त अनुमोदनानुसार "यूनीफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार प्रणाली मण्डल, लखनऊ" को मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नांकित प्रतिबन्धाधीन पुनर्जीवित किया जाता है। इस इकाई के लिए आवश्यक पदों को इसी आदेश के अनुलग्नक एक में निर्दिष्ट विवरणानुसार, अन्य इकाईयों में पूर्व-स्वीकृत / विद्यमान आस्थगित पदों में से परिविस्तारित करके एवं सैनिक कल्याण निगम से संविदा पर लिया जायेगा।

2. इस आदेश के अनुलग्नक 'एक' में निर्दिष्ट / विवरणानुसार परिविस्तारित किए गए सभी पद उनसे संबंधित इकाईयों में से स्वतः ही कम हो जायेंगे। अतः अब उन्हें वहाँ पर किसी भी स्थिति में पद-स्थापित नहीं किया जायेगा।

3. सम्बन्धित पद-धारकों को मूल वेतन के साथ समय-समय पर स्वीकृत मंहगा भत्ता व अन्य भत्तों के अतिरिक्त पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन के विषय-संगत नियमों/आदेशों के अनुसार पूर्व स्वीकृत इकाई के अनुरूप "विशेष वेतन, बहिर्गमन भत्ता" भी देय होगा, जिसके संबंध में नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. अधी० अभी० एवं अधी० अभी० के लिए कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष (NON S.T.D) तथा पूल मोबाइल कनेक्शन सिम सभी अभियन्ताओं को अनुमन्य होगा।

5. पूर्व स्वीकृत वाहनों के अतिरिक्त, अधी० अभी०, अधी० अभियन्ता मोदीपुरम एवं सभी उपभार निस्तारण उपकेन्द्रों पर आवश्यकतानुसार एक-एक किराये की डीजल जीप की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

6. उक्त पुनर्जीवित इकाई की स्थापना के परिणामस्वरूप होने वाला सम्भावित वित्तीय-व्यय-भार संबंधित वित्तीय वर्ष के उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन के आय-व्ययक में आगणित होगा।

7. "यूनीफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार प्रणाली मण्डल, लखनऊ" के अन्तर्गत (१) केन्द्रीय भार निस्तारण केन्द्र, लखनऊ (२) उपभार निस्तारण केन्द्र, सारनाथ (३) उपभार निस्तारण केन्द्र, सुलतानपुर (४) उपभार निस्तारण केन्द्र, पनकी (५) उपभार निस्तारण केन्द्र, मुरादाबाद (६) उपभार निस्तारण केन्द्र, मोदीपुरम होगे एवं इस इकाई के कम्प्यूटर प्रणाली, RTU-DATA रिसीविंग प्रणाली, डाटा विश्लेषण प्रणाली आदि के प्रमुख कार्य होने हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्र सं०-485-ज०श० एवं प्र०सु०-०१ / पाकालि / 2008-19ज०श०(०८) / 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (१) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन लखनऊ।
- (२) अध्यक्ष, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक,

- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव,
- (4) समस्त निदेशक गण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव,
- (5) निदेशक (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
- (6) अपर सचिव (का०प्र०I/II) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (7) अपर सचिव (अराजपत्रित / काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (8) समस्त संयुक्त सचिव गण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (9) समस्त उपसचिव / अनुसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (10) मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियंत्रण), उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (11) मुख्य अभियन्ता (ज०वि०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (12) समस्त मु०अ०(स्तर I/II) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन लि०।
- (13) मु०अ० (परिकल्पना एवं क्रय) लखनऊ / (पारे० मध्य) लखनऊ / (पारे० पश्चिम) मेरठ / (पारे०पूर्व) इलाहाबाद / (पारेषण दक्षिण) आगरा।
- (14) समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा / मुख्य लेखाधिकारी उ०प्र० पा०र कारपोरेशन लि०,
- (15) कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा० ट्रॉस्मिशन का० लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- (16) समस्त अधी० अभियन्ता, अधी० अभियन्ता उ०प्र० पा० / पा० ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन।
- (17) वरि-लेखाधिकारी / लेखाधिकारी-वेतनएवं लेखा / निधि / आय-व्ययक / प्रशासन, उ०प्र० पा०र कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (18) वरि० उपमहालेखाकार (आडिट-2), द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- (19) समस्त अनुभाग / कोष्ठक / शिविर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- (20) ज०श० एवं प्र०सु० अनु० के समस्त समी० अधी० एवं सम्बन्धित पत्रावलियों में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार गुप्ता)
उप सचिव (ज०श०एवं प्र०सु०)

अनुलग्नक-एक

उ०प्र० पावर ट्रॉमिशन कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 485-ज०प्र०० एवं प्र०प्र०-०१ / पाकालि / २००८ दिनांक १४.११.२००८ द्वारा पुनर्जीवित यूनीफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार प्रणाली मण्डल, लखनऊ के लिए आस्थागत पदों को पुनर्जीवित करके विधमान स्थीकृत पदों में से परिविस्तारित तथा सैनिक कल्याण निगम से लिए जाने वाले पदों का विवरण:-

क्र०स०	पदनाम	लखनऊ	सारनाथ	मुख्यमंत्र	पानी	मुख्यमंत्र	मोदीपुरम्	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षण अभियन्ता	१	-	-	-	-	-	आस्थागत पद को पुनर्जीवित करके।
२	अधिशासी अभियन्ता	१	-	-	-	-	१	एक पद कार्यरत एवं एक पद माइक्रोबैट मण्डल से परिविस्तारित करके।
३	सहायक अभियन्ता	३	१	१	१	१	१	३ पद कार्यरत एवं अतिरिक्त ५ अस्थागत पदों को पुनर्जीवित करके।
४	अवर अभियन्ता	४	१	१	१	१	१	४ पद कार्यरत एवं ३ पद आस्थागत पदों में पुनर्जीवित करके एवं और २ पद माइक्रोबैट मण्डल से परिविस्तारित करके लिए जायें।
५	आशुलिपिक	२	-	-	-	-	१	एक आशुलिपिक कार्यरत है एवं दो आशुलिपिक सैनिक कल्याण निगम से लिए जायें।
६	टेक्नीशियन (टी०टी०)	-	१	१	१	१	१	माइक्रोबैट मण्डल से ५ टेक्नीशियन पद परिविस्तारित करके।
७	चतुर्थ श्रमी	२	१	१	१	१	२	एक पद कार्यरत है एवं ७ पद सैनिक कल्याण निगम से लिए जायें।
	योग	१३	४	४	४	४	७	३६

१४ | १४